

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।
(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर-831001)

दूरभाष संख्या- 0657-2231017, फ़ैक्स-0657-2231017, ई-मेल- dfo.jamshedpur@jharkhandmail.gov.in



जहाँ है हस्तियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक: 4795 / जमशेदपुर

दिनांक: 06/11/2017

सेवा में,

श्री आर० गांगुली,
डी०जी०एम०, (जे०सी०पी०) जे०एस०आर०,
पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि०
400/220 कै०वी० उपकेन्द्र (जमशेदपुर)
ग्राम- रामचन्द्रपुर, पोस्ट - गम्हरिया,
जिला - सरायकेला-खरसावा

विषय :- मैसर्स झारखण्ड उर्जा संचरन निगम लिमिटेड का जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत रामचन्द्रपुर से जादूगोड़ा 132 के० वी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 12.845 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची, झारखण्ड का पत्रांक FP/JH/TRANS/18900/2016/1541 दिनांक 03.11.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची, झारखण्ड का पत्रांक FP/JH/TRANS/18900/2016/1541 दिनांक 03.11.2017 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ विषयगत परियोजना हेतु कुल 12.845 हे० वनभूमि अपयोजन की प्रथम स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में इस प्रमंडल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि 6.105 हे० एवं जंगल-झाड़ी 2.888 हे० कुल 8.993 हे० तथा सरायकेला वन प्रमंडल अधिसूचित वनभूमि 2.642 हे० तथा जंगल-झाड़ी 1.210 हे० कुल 3.852 हे० वनभूमि सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नवत है :-

शर्त संख्या - 1 के अनुपालन हेतु सक्षम पदाधिकारी का बचनवद्धता समर्पित किया जाय।
शर्त संख्या - 2 के अनुपालन हेतु इस प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित 8.993 हे० वनभूमि के विरुद्ध 887000/- प्रति हे० की दर से कुल 7976791/- (उन्नासी लाख छिहत्तर हजार सात सौ एकानवे रुपया) मात्र एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित 3.852 हे० वनभूमि के विरुद्ध 626000/- प्रति हे० की दर से कुल 2411352/- (चौबीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ बावन रुपया) मात्र ऑन लाईन मोड में CAMPA खाते में जमा की जाए जिसकी प्रक्रिया भारत सरकार के Web Site पर स्पष्ट है। सुलभ संकेत हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्र संख्या 19M-5(5)4/2014-5034 दिनांक 20.11.2017 एवं फ्लोचार्ट की छायाप्रति के साथ संलग्न की जाती है। साथ ही जमा राशि की पूर्ण विवरणी Levis Formate में समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 3 के अनुपालन हेतु एन०पी०वी० राशि की पुनरीक्षित होने की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के संबंध में सक्षम पदाधिकारी का बचनवद्धता समर्पित किया जाय।
शर्त संख्या - 4 के अनुपालन हेतु इस प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित 8.993 हे० एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत 3.852 हे० कुल 12.845 हे० वनभूमि के दुगने अर्थात् 26.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 6352868/- (तिरेसठ लाख बावन हजार आठ सौ

अड़सठ रूपया) मात्र ऑन लाईन मोड में CAMPA खाते में जमा कि जाए। साथ ही जमा राशि की पूर्ण विवरणी Levis Formate में समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 5 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 6 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 7 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 8 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 9 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 10 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 11 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 12 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 13 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 14 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 15 a, b, c, d, एवं e का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। साथ ही शर्त संख्या 15e के अनुपालन के क्रम में ट्रांसमिशन लाईन के ROW में बौने प्रजाति के वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु इस प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 8.993 हे० एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित 3.852 हे० वनभूमि के विरुद्ध दस वर्षीय बौने प्रजाति के वृक्षों के वृक्षारोपण योजना हेतु क्रमशः 3022187/- (तीस लाख बाईस हजार एक सौ सतासी) रूपये मात्र एवं 1714745/- (सतरह लाख चौदह हजार सात सौ पैतालिस) रूपये मात्र ऑन लाईन मोड में CAMPA खाते में जमा कि जाए। साथ ही जमा राशि की पूर्ण विवरणी Levis Formate में समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 16 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 17 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 18 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 19 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 20 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

शर्त संख्या - 21 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

[Signature]
06/12/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी

जमशेदपुर वन प्रमंडल

6/14 जमशेदपुर